95372(1)/2018/ESTT CPC

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Chairperson 2. Under Secretary (Establishment), Department of Fertilizers - Member; and 3. Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member.	Not applicable.

[F .No. A-12011/2/2017-Estt.]

T. P. N. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 285.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2011 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) में बहुकार्य कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अहर्ताएं आदि**.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति**-—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

File No. A-31011/2/2017-ESTT. (Computer No. 3011651)
Generated from eOffice by GANESH SINGH, DS(GS)-Admin, DEPUTY SECRETARY (ADMIN), CPC on 22/12/2025 01:05 pm

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. बहुकार्य कर्मचारिवृन्द	48*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1, (18000-56900 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य अथवा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण प्रमाण-प्रत्र।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

File No. A-31011/2/2017-ESTT. (Computer No. 3011651)
Generated from eOffice by GANESH SINGH, DS(GS)-Admin, DEPUTY SECRETARY (ADMIN), CPC on 22/12/2025 01:05 pm

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से बनेगी : 1. निदेशक (स्थापन) या उप-सचिव (स्थापन), रसायन और पेट्रोरसायन विभाग – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्थापन), रसायन और पेट्रोरसायन विभाग –सदस्य 3. अवर सचिव (स्थापन), उर्वरक विभाग – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12011/2/2017-स्थापन-सीपीसी]

टी. पी. एन. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st August, 2018

G.S.R. 285.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petro-chemicals (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2011 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely :—

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the Department of Chemicals and Petro-chemicals (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix .—**The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

File No. A-31011/2/2017-ESTT. (Computer No. 3011651)
Generated from eOffice by GANESH SINGH, DS(GS)-Admin, DEPUTY SECRETARY (ADMIN), CPC on 22/12/2025 01:05 pm

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Multi-Tasking Staff	48* (2018) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).

Whether selection or non selection post.	Age- limit for direct recruits
(5)	(6)
Not applicable	Between 18 and 25 years of age. **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or Industrial Training Institute pass certificate from a recognised institute.	Not applicable

Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Chairperson 2. Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member 3. Under Secretary (Establishment), Department of Fertilizers – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12011/2/2017-Estt. CPC]

T. P. N. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 286.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उद्योग मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (डिस्पैच राइडर) भर्ती नियम, 1987 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया हो या किए जाने का लोप किया गया हो, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में डिस्पैच राइडर पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (डिस्पैच राइडर) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे आबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अहर्ताएं आदि**.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त/अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** .—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** .—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** -—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।